19/07/24

आज यह पत्रावली वादी हारा स्वयं उपस्थित होकर जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेश की गई। वादी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर वादी के बेटे से वाद विड्रॉ करने का निवेदन किया। वादी हारा स्वयं वाद विड्रॉ करने से वाद विड्रॉ करने का आदेश पारित कर खारिज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली रोकिल दफ्तर हो। दर्ज में तय तारीख निरस्त की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Identified by

GCMS No
2024/307